

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली पाली

अपीलाण्ट  
नेनूदेवी पत्नि गजाराम जाति जणवा  
चौधरी नि.फालनागांव तह.बाली

बनाम

रेस्पोंडेंट

राजस्थान सरकार

जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बाली

G.C.M.S. NO: 2023/01

किस्म मुकदमा : राजस्व अपील

प्रकरण संख्या: राजस्व अपील संख्या 64/2023

धारा/एक्ट :- धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जा इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.10.2023	<p>अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार, बाली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1567 दिनांक 16.11.2022 के विरुद्ध पेश की है।</p> <p>अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकर्ड तलब हो। रेस्पोंडेंट जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 20/11/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली बाली, जिला-पाली</p>	<p>सम्मन जारी 24 17.10.23</p>
20/11/23	<p>वकलात उप.जा.प.टी.सी.न. के.के. में पधार दिनांक 20/12/2023 मिलत हो।</p> <p style="text-align: right;">रेस्पोंडेंट को जारी नोटिस बाद जारी न.जा.प.स.ल.न.</p>	
20/12/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपर उकाश में अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकर्ड मांग। पत्रावली में अन्तजार मूल रिकर्ड हेतु दिनांक 23/01/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)</p>	
23/01/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपर पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकर्ड मांग। पत्रावली में मूल रिकर्ड अन्तजार हेतु दिनांक 23/02/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)</p>	

13/02/24

पञ्जावली पेशुई वकील अपीलार् उपस्थित।  
मासिक क्रोदेश की पालना से अधिकतम न्यायालय  
का रिकॉर्ड अर्थात् अधिकतम न्यायालय का शून्य रिकॉर्ड  
इन्जुआर होकर दिनांक 28/2/24 को पेश  
हो।

अति. जिला कलेक्टर  
बाली (पाली)

28/2/24

यकृत्याय उप. आज पीठारीन  
अधिकारी अ. उ. क्र. ३३३ में पधार  
है। पञ्जावली दिनांक 13/2/24  
को पेश हो।

मम ए

19/3/24

पञ्जावली पेशुई वकील अपीलार् उपस्थित।  
पञ्जावली में अधिकतम न्यायालय का शून्य रिकॉर्ड  
अर्थात् अधिकतम न्यायालय का शून्य रिकॉर्ड,  
तलव हेतु स्मरण पञ्जावली ही। पञ्जावली दिनांक  
16/04/2024 को पेश हो।

अति. जिला कलेक्टर  
बाली (पाली)

16/4/24

पञ्जावली प्रखण्ड ईई। अधिकतम अपीलार् अनुपस्थित।  
पञ्जावली का अवलोकन किया, अपील अनुसार रेसिडेंट  
तहसीलदार बाली ने नामांक सं० 1567 ग्राम फालत गांव  
को गठन निरस्त किया जब कि नामान्तरण सही  
दर्ज किया गया था अतः तहसीलदार बाली के नामान्तरण  
सं० 1567 दि० 16.11.22 के आदेश को निरस्त कर  
विद्वेष विलेख के आधार पर सही नामान्तरण करण दर्ज  
करने का आदेश दिया जाय।  
पञ्जावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट  
है कि अपीलार् ने नुदेवी पत्नी राजाराम ने फालत गांव  
में ख० न० 723 की भूमि रजिस्ट्रार विद्वेष विलेख दि० 7.10.22  
से इस की हैजिदके आधार पर नामान्तरण करण से किया  
जाना था जो अधिकतम न्यायालय द्वारा नहीं किया गया  
अतः अपीलार् की अपील स्वीकार करते हुए नामान्तरण  
सं० 1567 ग्राम फालत गांव को निरस्त किया जाना है एवं  
तहसीलदार बाली को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्ट्रार  
विद्वेष विलेख अनुसार निम्नानुसार सही नामान्तरण करण  
दर्ज किया जाय। निर्णय सुनाया गया। फालत हेतु तहसीलदार  
बाली को निया जाय। पञ्जावली फलत शुमार होकर  
नंबर से अर्थात्

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
बाली, जिला-पाली